URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (317) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017–18 जयपुर, दि05 सितम्बर, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्पादित कराये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(41)/ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/क्यूसी/2015–16 दिनांक 08.02.2016, 20.09.2016 एवं पत्र क्रमांक एफ 27(254) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/2015–16 दिनांक 10.08.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017

माननीय मंत्री महोदय द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ताओं की कार्यशाला में प्रत्येक जिलों में जिला परिषद्/पंचायत समिति स्तर पर एक–एक प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 द्वारा विभाग द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत सम्पादित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जाँच एवं आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु कार्यकारी संस्था यथा ग्राम पंचायत द्वारा 15 सूचीबद्ध /पंजीकृत तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता/संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के क्रम में मौके से लिये गये सैंपलों की निजी संस्थाओं/प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षण/जाँच रिपोर्ट मान्य नहीं है। इस कम में जिला परिषद् कोटा द्वारा जिला स्तर व पंचायत समिति स्तर पर स्थापित गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट की समीक्षा कर जिलों में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराने की नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिस कम में जिलों से कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः आप दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 तक नियमानुसार कार्यवाही कराकर जिला/पंचायत समिति स्तर पर उक्तानुसार गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराना सुनिश्चित करावें।

1.9.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
7. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
8. जिला क्लक्टर समस्त, राजस्थान।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो. एव मु./एसएपी–I/एसएपी–II ईजीएस), ग्रामीण विकास।
10. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस/ग्रावि/(प्रो0) महात्मा गाँधी नरेगा/ग्रामीण विकास/ पंचायतीराज
11. अधिशाषी अभियंता, अभि./ईजीएस, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) 1/9/17

D:\iay\gkn\GKN Letter.docx